आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice Department

Parinayam (Marriage Assistance to Daughters of Parents with Disability and to Girls with Disability)

केरल का सामाजिक न्याय विभाग दिव्यांग व्यक्ति को बेटी की शादी के लिए और दिव्यांग लड़कियों को विवाह सहायता देता है।

क्या मिल सकता है

विवाह के लिए आर्थिक सहायता योजना के दो भागों में दी जाती है: एक दिव्यांग माता-पिता की बेटियों के लिए और एक दिव्यांग लड़कियों के लिए। आवेदक के परिवार की कुल आय Rs 1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

किसके लिए है

वे दिव्यांग व्यक्ति जिनकी बेटी का विवाह होना है, और दिव्यांग लड़कियां, जहां परिवार की कुल आय Rs 1,00,000 तक है।

मुख्य शर्तें

- दिव्यांग आवेदक और परिवार की सभी स्रोतों से कुल आय Rs 1,00,000 से अधिक न हो।
- जिस लड़की का विवाह होना है, उसकी उम्र आवेदन के दिन 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो।
- दिव्यांग माता-पिता की बेटियों वाले भाग में 2 बेटियों के लिए सहायता मांगी जा सकती है, पहली और दूसरी सहायता के बीच कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए। समाज कल्याण निदेशक यह अंतर घटा सकते हैं।
- तलाक़ के बाद लड़की को दोबारा विवाह करना पड़े तो दूसरे विवाह के लिए भी सहायता मिल सकती है, और पूर्व पति से मिला मुआवज़ा या गुज़ारा भत्ता परिवार की आय में गिना जाता है।
- सहायता मिलने से पहले आवेदक की मृत्यु हो जाए तो परिवार का बड़ा सदस्य या विवाह कराने वाला व्यक्ति उचित जमानत पर यह सहायता ले सकता है।

दस्तावेज़

- योजना की शर्तों के साथ लगा तय प्रारूप का आवेदन पत्र
- होने वाले वर का शपथ पत्र, पोर्टल पर दिए प्रारूप में

आवेदन कैसे करें

1. योजना की शर्तों के साथ लगे आवेदन फ़ॉर्म में ज़िला सामाजिक न्याय अधिकारी को आवेदन दें; विभाग का सुनीति पोर्टल एक बार पंजीकरण के बाद ऑनलाइन आवेदन भी लेता है।
2. विवाह के लिए तय तारीख़ से कम से कम एक महीने पहले आवेदन भेजें।
3. वधू मुस्लिम हो तो निकाह की रस्म के बाद होने वाले विवाह की तारीख़ से यह अवधि गिनी जाती है।
4. होने वाले वर का शपथ पत्र साथ लगाएं।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://suneethi.sjd.kerala.gov.in/smartoffice/suneethi_downloads/decl_groom.pdf
आधिकारिक आवेदन: https://suneethi.sjd.kerala.gov.in/Citizen_Platform/suneethi/index.php
आधिकारिक PDF: https://suneethi.sjd.kerala.gov.in/smartoffice/suneethi_downloads/decl_groom.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/kerala/kl-parinayam-pwd-marriage-assistance/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।